

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 07 जुलाई 2017

एफ 16-01/2016/नौ/55-4:: राज्य शासन, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2017 कहलायेंगे।
(2) यह नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
(3) राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश की सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।
2. परिभाषायें.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो –
(क) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET);
(ख) “एजेंसी” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत परीक्षा एजेंसी;
(ग) “वास्तविक निवासी” से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्ररूप-अनुसूची-एक);
(घ) “श्रेणी” से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् – “अनुसूचित जाति”, “अनुसूचित जनजाति”, “अन्य पिछड़ा वर्ग” (गैर क्रीमीलेयर) तथा “अनारक्षित”;
(ङ.) “संवर्ग” से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन;
(च) “सैनिक” संवर्ग से अभिप्रेत है प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान रथाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्ररूप- अनुसूची-दो);

Va

- (छ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनके दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्ररूप—अनुसूची—तीन);
- (ज) "निःशक्तजन" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा रथायी निःशक्तजन जो "निःशक्त व्यक्ति" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं.1) की धारा 2 (झ) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण का प्ररूप— अनुसूची –चार);
- (झ) "बिना संवर्ग" से अभिप्रेत है वे व्यक्ति, जो खण्ड 2 (ड) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;
- (ज) "परिषद" से अभिप्रेत है एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय दंत चिकित्सा परिषद;
- (ट) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालय;
- (ठ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;
- (ण) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;
- (प) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में स्थापित महाविद्यालय, जो ऐसे नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा अधिसूचित हो, जो कि राज्य शासन द्वारा विहित किए जायें;
- (फ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (ब) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (भ) "शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा निजी चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय, जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा किसी अन्य शासकीय सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- (म) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वारथ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;
- (य) "दरत्तावेज" से अभिप्रेत है मूल दरत्तावेज।

10

सामान्य :-

1. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/प्रवेश परीक्षा, आबंटन, प्रवेश, विश्वविद्यालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे।
 2. स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अशंकालिक निजी प्रैक्टिस अथवा अन्य कोई जॉब करने की अनुमति नहीं होगी।
 3. अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरे और यथा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसे करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।
 4. प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
 5. शासन द्वारा समय—समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।
3. पात्रता .—(अ) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :—

केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो

तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों

तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा (NEET नियम 2 (क) एवं (ख) के अनुरूप) में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के निःशक्तजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किसी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है तो वह मान्य होगी।

[Signature]

- (व) निजी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :— प्रथमतः नियम 3 (अ) के अनुसार सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो कि नियम 3 (अ) राज्य के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करते हो, किन्तु राज्य के बाहर के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अर्हताकारी प्रतिशतमक (Percentile) का लाभ नहीं दिया जा सकेगा एवं परस्पर समान प्रावीण्यता क्रमानुसार (Common Merit List) ही आवंटन प्राप्त कर सकेंगे।
- (स) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अप्रवासी भारतीय (NRI) नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :— शासन के प्रबलित नियमानुसार लागू होगा तथा नियम 3 (अ) पात्रता के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करता हो। नियमानुसार अप्रवासी भारतीय (NRI) सीटों के रिक्त रहने पर प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।
4. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान .— अल्पसंख्यक महाविद्यालय प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे परंतु उन्हें ऐसी अर्हताओं के संबंध में परीक्षा वर्ष के 15 मार्च तक इस संबंध में संचालक को लिखित सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।
5. सीटों का आरक्षण .— (1) प्रत्येक शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में (अप्रवासी भारतीय नियतांश को छोड़कर) समरत सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।
(2) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, निःशक्तजन संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण होगा। निःशक्तजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को निम्नानुसार भरा जायेगा :—
- (अ) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
(ब) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें (निःशक्तजन) पात्र नहीं हैं—
- (i) ऊपरी अंग निःशक्तजन;
 - (ii) दृष्टिबाधित निःशक्तजन;
 - (iii) बधिरीय निःशक्तजन;
 - (iv) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निःशक्तजन;
 - (v) काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र।

6. चयन प्रक्रिया .-

(क) प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :-

- (1) प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
- (2) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी कोई भी जानकारी जैसे मूल निवासी, आरक्षण श्रेणी एवं संवर्ग (महिला, निःशक्तजन) में चयन उपरांत परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणाम : एजेंसी सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची, और अंक सूची घोषित करेगी जिसमें अंकों के अतिरिक्त जन्म तिथि, विकलांगता प्रतिशत और संवर्ग भी दर्शित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रावीण्य सूची में से पात्र अभ्यर्थियों की सूची एजेंसी द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जायेगी।

प्रावीण्य सूची में नियम 3 और नियम 4 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर प्रावीण्य सूची के अनुक्रम अनुसार नियम 7 के अनुरूप काउंसिलिंग के द्वारा पात्र अभ्यर्थी को महाविद्यालय व पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

7. काउंसिलिंग प्रक्रिया.— राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं शासकीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी सीटे, निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी सीटे के फिजियोथेरेपी महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे के स्नातक पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियम 6 के अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियम 3 के अनुसार संचालनालय द्वारा निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी –

- (1) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, संचालनालय द्वारा दो चरणों में ऑनलाइन/ऑफलाईन काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी;
- (2) आनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी। अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन के समय पात्रता संबंधी मूल दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतियाँ ऑनलाइन काउंसिलिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
- (3) ऑनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक उपरोक्तानुसार उल्लेखित मूल दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अपात्र होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किये हुए मूल दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। उक्त तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व पूर्ण रूपेण अभ्यर्थी का होगा।

- (4) ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रुपये 1000/- तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रुपये 500/- संचालक चिकित्सा शिक्षा को देय होगी।
- (5) ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- (6) काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने पंजीयन नहीं कराया है वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे;
- (7) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे। नोट :- अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डाले क्योंकि नये विकल्प भरने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा;
- (8) एक बार अंतिमीकरण हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने पूर्व घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नये महाविद्यालय की सीटें जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हो, के लिये प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन मान्य होगा। परन्तु इस हेतु नवीन पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे तथा पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की पात्रता होगी;
- (9) प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा;
- (10) आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि आबंटित शासकीय संस्था में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे;
- (11) वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी के पास काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;
- (12) (एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा पश्चात् चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा;

[Signature]

- (दो) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण में अहं होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (तीन) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित तिथि के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा तदद्वारा आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।
- (पाँच) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा आबंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था द्वारा नवीन आबंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी।
- शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में 4000/-रु. काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी;
- (छ:) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा;
- (13) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी;
- (14) द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया से प्रत्यक्ष काउंसिलिंग की जायेगी। अंतिम प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम इन रिक्त सीटों में अपग्रेड प्रक्रिया प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में की जायेगी, जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश लिया है। इसके पश्चात् रिक्त रह गई सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा।
- (15) अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया प्रत्यक्ष (ऑफ लाईन) होगी, जिसमें राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की रिक्त सीटें सम्मिलित की जाएगी। “अंतिम प्रवेश प्रक्रिया” में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित एवं अप्रवेशित पात्र (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय या शासकीय दंत चिकित्सा में सीटे आबंटित की गई किन्तु प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे) अभ्यर्थी ही आबंटन में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्हे इस प्रक्रिया हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अथारिटी लेटर मान्य नहीं किया जा सकेगा;
- (16) संचालक द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अथवा संचालनालय के वेबसाइट पर सूचना के माध्यम से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर

जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा;

- (17) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) पाठ्यक्रमों की स्नातक सीटों में प्रवेश हेतु समस्त चरणों हेतु प्रत्यक्ष (ऑफ लाईन) काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।
- (18) काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका भलि-भांति अवलोकन कर लें।

8. आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण .— (1) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को परिवर्तन/अंतरण छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

- (2) आरक्षित श्रेणी के किसी भी संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को पहले उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित किया जायेगा। तदुपरान्त उक्त श्रेणी में भी सीट रिक्त रहती है तो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

9. शासकीय नियतांश की सीटों का प्रबंधन नियतांश सीटों में परिवर्तन .— शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

10. राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंधपत्र (बॉण्ड).— (1) शासकीय एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, शासन द्वारा अधिसूचित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा संस्था शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/जूनियर रेसिडेंट में कार्य करेगा। अन्य पाठ्यक्रमों हेतु यह अनिवार्यता नहीं होगी।

- (2) शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) (प्ररूप—अनुसूची पांच) — प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में यह बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वे नियम 10 (1) के प्रावधानों से सहमत हैं और यदि वे शासन के अधीन कार्य न करने के विकल्प का चयन करते हैं, तो वे नियम 10 (3) में यथा निर्धारित बंधपत्र राशि को जमा करेंगे। उसके द्वारा सम्पूर्ण देय राशि के जमा होने के बाद ही अभ्यर्थी को यथा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (3) बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि — अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रुपये 25,00,000/- एवं आरक्षित श्रेणी के छात्र के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रुपये 20,00,000/- होगी।

- (4) इन नियमों के अधीन एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरंभ में अस्थायी (अनंतिम) स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आरंभ में स्नातक योग्यता का केवल अस्थायी (अनंतिम) पंजीयन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य मेडिकल पंजी (रजिस्टर) में किया जाएगा।
- (5) अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के एक माह के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त को विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाएगी।
- (6) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छः माह की कालावधि के भीतर आयुक्त, स्वारश्य एवं परिवार कल्याण ऐसे स्नातक डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया बॉण्ड स्वमेव निरस्त समझा जाएगा।
- (7) नियम 10 (1) के अनुसार सेवा अवधि शर्त पूरी करने के बाद अथवा नियम 10 (3) के अनुसार समस्त देय राशि जमा कर दिए जाने के बाद अथवा अभ्यर्थी से उक्त शेष अवधि की बैंक गारण्टी लेने के बाद, जैसी भी स्थिति हो (अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विकल्प पर निर्भर) आयुक्त अभ्यर्थी को नियम 10 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- (8) तत्पश्चात् अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी।
- (9) राज्य मेडिकल काउसिल रजिस्टर (पंजीयन) में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदाय अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा।
- (10) नियम 10 (1) का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड – यदि कोई अभ्यर्थी शासन के अधीन सेवा करने का चयन करता है और नियम 10 (1) के अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है, तो नियम 10 (3) में यथा उल्लिखित बॉण्ड की सम्पूर्ण राशि की वसूली अभ्यर्थी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। ऐसा अभ्यर्थी को नियम 10 (7) में यथा उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती।
11. प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात्/एमबीबीएस पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र .— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात् अथवा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के माध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) होगी।
12. प्रवेश रद्द करना .— यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।

13. कठिनाइयों का निराकरण :— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।
14. प्रावीण्य सूची की समाप्ति .— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ट सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।
15. निरसन .— इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से “छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा रनातक/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) प्रवेश परीक्षा” से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(अनिल कुमार साहू)

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुसूची – एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी
.....निवासी.....तहसील.....

जिलाछत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में रिथित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है ।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा ।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीयट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा ।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्ता मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

X

अनुसूची - दो

प्ररूप (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती (माता/ पिता का नाम)
..... जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित परीक्षा
के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/ कुमारी (छात्र/ छात्रा का नाम)
..... के पिता/ माता है।

(अ) थलसेना/ वायुसेना/ नौ सेना के/ की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्त/ सेवामृतिक के समय वे ...
..... पद पर थे/ थी और उनका सर्विस क्रमांक था।

(ब) उन्होंने थलसेना/ वायुसेना/ नौ सेना में पद पर सर्विस क्रमांक के
अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए हैं/ सेवा के दौरान वे स्थायी
रूप से निःशक्तजन हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान
हस्ताक्षर
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
कार्यालय सील

अनुसूची - दो

प्ररूप (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता है, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से (ख्यान) तहसील जिला छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

स्थान
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील, सैनिक कल्याण अधिकारी

Xo

अनुशूल्या - दो

प्ररूप (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (आध्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (आध्यर्थी का नाम) के माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) है, वह थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदरथ है। वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत हैं।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक

कार्यालय सील, कमाडिंग ऑफिसर

प्ररूप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण – पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
..... श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) के/की वैध संतान है।
जो श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है श्री/सुश्री
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला के कलेक्टर
कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान
दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का
राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

अनुसूची – चार

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.-0771-2234451, फैक्स नं. 0771-2222212 E-mail : cgdme@rediffmail.com

क्रमांक /

/ संचिशि /

रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट

साइज

फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता— श्री
उम्र—.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय
मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण
उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल निःशक्तता प्रतिशत
है।

पहचान का निशान—

(अध्यक्ष)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

अनुसूची – पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थीयों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड) का प्रस्तुप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
.....छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "पीएमटी-....." प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आवंटित की गई है ।
3. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है । उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियों दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
4. मैं एतद द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूँगा/करूँगी ।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा ।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपयेशब्दों में (रूपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी ।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा ।
8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूँगा/करूँगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा ।
9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा ।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : –

- 1.....हस्ताक्षर
- 2.....हस्तासक्षर

हस्ताक्षर
आवेदक / निष्पादनकर्ता

गवाह नं.
1 का
फोटो

गवाह नं.
2 का
फोटो

गवाह नं.
3 का
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
..... उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में
उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची—पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युोडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्ररूप

मेरा पुत्र/पुत्री आत्मज/आत्मजा श्री.....
..... निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक
पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक “छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम –” एवं “निर्देशिका” में निहित प्रावधानों को भली-भाँति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :–
 - (क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था में कार्य करेगा/करेगी।
 - (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संरथा प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
 - (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात् किये जा सकेंगे।
 - (घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण सत्र हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो मेरे द्वारा रु. 25 लाख (आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 20 लाख) तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता

हस्ताक्षर

फोन नं.

अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

.....उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : –

1.....

हस्ताक्षर

2.....

प्रतिभूतिकर्ता